Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-2379 /12-1(2) दिनांक, देहरादून, 13 जून, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषयः- **प्रस्ताव संख्या** FP/UK/OFC/36847/2018 **देहरादून वन प्रभाग में थानों-ऋषिकेश-बड़कोट रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0 (रानीपोखरी-नटराज चौक) 3.8 कि0मी0, (रानीपोखरी चौक-जंगलात चौकी) 9.2 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.205 है0, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवलाखुर्द, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने के संबंध में।**

संदर्भः- **आपका पत्रांक 3840/12-1 दिनांक 10.06.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निम्न कमियों के निस्तारण हेतु मूल में संलग्न कर वापस लौटाया जा रहा है :-

1. प्रस्तावित परियोजना की राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व से दूरी से संबंधित प्रमाण-पत्र दिया गया है जबकि यह प्रमाण-पत्र अधिकृत संस्था द्वारा तैयार मानचित्र के साथ अपलोड किया जाना है। परियोजना के कार्यक्षेत्र की दूरी 10 किमी0 से कम होने पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में अपनी आख्या भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
2. प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व आदि का हिस्सा नही है, से संबंधित प्रमाण-पत्र दिया गया है जबकि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 1777/1(2)Va.Gra.Vi./2002-19(E)/2002 दिनांक 28.10.2002 द्वारा थानों-बड़कोट-ऋषिकेश रेंज **'शिवालिक हाथी आरक्षित'** क्षेत्र घोषित किया गया हैं। इस संबंध में अपनी आख्या उपलब्ध करायें।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।